राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 233/प्रा0पत्र/2020 | दायरा दिनांक :–04.09.2020

GCMS ID–2020/00107

उनवान

1. राधाकिशन उर्फ कालू आ0 छगना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सोभाग छगना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मुकेश आ0 छगना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. नर्बदा पुत्री छगना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. कन्या पुत्री छगना जाति मीणा निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरदारा आह0 नाना जाति भील निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. कमला पत्नी पांचू जाति भील निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. एजन पत्नी नाना भील जाति भील निवासी भोजगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्राथीगण :– दिलीप सिंह गौड

आदेश

दिनांक : 24.03.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 2204 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भोजगढ हल्का खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर उडद व तिल की फसल बो रखी है। प्रार्थीगण शांतिपूर्वक अपनी भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के समीप अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नाना भील की भूमि है लेकिन दोनों की सीमाऐं अलग–अलग बंटी हुई है लेकिन वर्ष 2018 में अप्रार्थी सरदारा ने अपनी भूमि का नाप कराये बिना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि पर निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके संबंध में प्रार्थीगण ने तहसीलदार सा0 हिण्डोली को शिकायत की थी जिस पर पटवारी, कानूनगो ने मौके पर आकर भूमि का नाप कराये बिना निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया था लेकिन तब तक कुद निर्माण अप्रार्थीगण द्वारा कर लिया था उक्त निर्माण अभी भी अपूर्ण है। अप्रार्थीगण उक्त मकान की

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आड में आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमा में हस्तक्षेप करतें है। भूमि की मेडो को नष्ट करते है और नई सीमा रेखा बनाने का प्रयास करते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उनकी भूमि का नाप कराने का आग्रह किया लेकिन अप्रार्थीगण उनकी भूमि का नाप नहीं करवा रहे है और प्रार्थीगण की सीमा में दखलंदाजी कर रहे है ऐसी स्थिति में मौके पर सीमाबंदी को लेकर किसी प्रकार का विवाद व खून खराबा न हो इसलिए प्रार्थीगण के समक्ष अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि की सीमाए मिली हुई होने तथा दोनों की भूमियों के मध्य कोई मुस्तकीन निशान नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की फसल की आवारा जानवरों से सुरक्षा हेतु अपनी भूमि की सीमा पर पक्की बाउन्डरी/तारपेंसिंग करवाना चाहते है और उक्त कार्य अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाकर की करवाना चाहते है। प्रार्थीगण पडौसी काश्तकारान से स्नेह व प्रेमभाव रखना चाहते है और अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहते है। इसलिए अपनी भूमि की सीमा पर पक्की दीवार/तारपेंसिंग करवाने से पूर्व अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाकर सुरक्षा दीवार करवाना चाहते है ताकि पक्की दीवा/तारपेंसिंग के समय कोई विवाद नहीं हो और प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपनी भूमि की सीमा का ज्ञान हो सके। प्रार्थीगण ने दिनांक 05.08.2020 को अप्रार्थीगण से आपसी सहमति से भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया इसलिए प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा पूर्व में अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतुं आवेदन पेश किया था लेकिन अप्रार्थी सरदारा द्वारा विवाद करने पर सीमा ज्ञान नहीं हो सका इसलिए पत्थरगढी की आवश्यकता है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदार है जिनकों अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने का तैयार है। भूमि ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को लेण्ड आफिसर की हैसियत से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111, 118, 128 के तहत श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकर प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2204 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम भोजगढ की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 03 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 73 के अनुसार प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 73 के खसरा नं. 2204 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा जो कि प्रार्थी राधाकिशन उर्फ कालू, सोभाग, मुकेश पिता छगना, नर्बदा, कन्या पुत्रीया छगना कौम मीणा वाके ग्राम भोजगढ पटवार मण्डल खीण्या तहसील हिण्डोली की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहर्रीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446